प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं
पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं
पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा,
बेज नं0 53–54 सैक्टर–2 पचंकूला।

यादि क्रमांकः 40/10/2023–1स0क0
दिनांक चण्डीगढ़ः 09.08.2023

विषयः– **डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 247–स0क0(1)–2017 दिनांक 28 फरवरी 2017, 1034–स0क0(1)–2018 दिनांक 10 जुलाई 2018 तथा 391–स0क0(1)–2021 दिनांक 20 अगस्त, 2021 की निरन्तरता में।

2. हरियाणा के राज्यपाल द्वारा डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत निम्न अनुसार संशोधन किया जाता है।

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को, जिनको किसी भी विभाग में मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है, को अनुदान की राशि 80,000/–रु0 एक मुश्त में दी जाएगी तथा यह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर अंकित होंगे।	इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों के लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के योग्य हो, को अनुदान की राशि 80,000/–रु0 एक मुश्त में दी जाएगी तथा यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनकी परिवार पहचान पत्र में परिवार की सत्यापित आय 1.80 लाख रु0 तक वार्षिक होगी।

हस्ता/–
अधीक्षक, समाज कल्याण
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं
पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग।

पृ0 क्रमांकः 40/10/2023–1स0क0
दिनांक चण्डीगढ़ : 09.08.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा (लेखा एवं हकदारी) तथा (आडिट), चण्डीगढ़।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
3. उपनिदेशक (स्कीम), कार्यालय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा, बेज नं0 53–54 सैक्टर–2 पचंकूला।
4. अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा, बेज नं0 53–54 सैक्टर–2 पचंकूला।
5. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

ममता रानी
अधीक्षक, समाज कल्याण
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं
पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा0 क्रमांक 12/21/2021–एफ0जी0–II/8818 दिनांक 14.07.2023 के संदर्भ में प्रेषित है।

हस्ता/–
अधीक्षक, समाज कल्याण
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं
पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अशा0 क्रमांकः 40/10/2023–1स0क0
दिनांक चण्डीगढ़ : 09.08.2023

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

कमांकः 391 स0क0(1)–2021
चण्डीगढ़, दिनांकः 20–08–2021

विषयः– **डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 247–स.क.(1)–2017 दिनांक 28.02.2017 तथा 1034–स.क.(1)–2018 दिनांक 10.07.2018 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 01-04-2021 से डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत निम्न अनुसार संशोधन किया जाता है:–

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के ऐसे लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है तो उसे 50,000/– रूपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी तथा वह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर होंगे ।	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है, को अनुदान की राशि 50000/– रूपये से बढ़ाकर 80,000/– रूपये एक मुस्त में दी जाएगी तथा वह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर अंकित होंगे ।

3. स्कीम की अन्य टर्मज़ एण्ड कन्डीशनज़ यथावत् रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशाः क0 12/21/2021–4 एफ0जी0–II/20899 दिनांक 19.08.2021 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0 391 स0क0(1)–2021 चण्डीगढ़, दिनांकः 20.08.2021

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. सलाहकार (मुख्यमंत्री) हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
4. नियंत्रक, लेखन एवं सामग्री विभाग, हरियाणा, पंचकूला को भेजते हुए उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने की कृपा करें।
5. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।

.....जारी.....

7. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
9. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

सचिव, 20/8/21
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क0 12/21/2021—4 एफ0जी0—II/20899 दिनांक 19.08.2021 के संदर्भ में प्रेषित है ।

सचिव,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा:क0: 391 स0क0(1)—2021 चण्डीगढ़, दिनांक: 20.08.2021

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

कमांक:

दिनांक:

विषय:– डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने बारे।

———

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 247–स.क.(1)–2017 दिनांक 28.02.2017 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 25000/–रुपये की राशि को बढ़ा कर 50,000/–रुपये करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि वर्ष 2018–19 में उपलब्ध बजट से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी ।

3. स्कीम की अन्य टर्मज़ एण्ड कन्डीशनज़ यथावत् रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशा: क0 02/06/2016–5 एफ0जी0–II/5341 दिनांक 03.07.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

Sd/-
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0\ 1034-SW-(1)2018 दिनांक: 10-7-2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।

.....जारी.....

5. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Ragbubir Singh

अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क्र० 02/06/2016–5 एफ0जी0–II/5341 दिनांक 03.07.2018के संदर्भ में प्रेषित है ।

-Sd.-
अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशाः क्र0

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

कमांक : 247–स.क.(1)–2017
दिनांक : 28.02.2017

विषयः– **अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के लिए चलाई जा रही डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के स्थान पर डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आरम्भ करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

स्कीम का नाम

"डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना" (हिन्दी में)

"Dr.B.R.Ambedkar Housing Nweenikaran Yojana (in English)"

उद्देश्य

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के व्यक्तियों को, जिनका मकान मुरम्मत लायक हो गया हो उनको अनुदान उपलब्ध करवाना है ।

टर्मज़ एण्ड कण्डीशन्ज

1. प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी तथा अनुसूचित जाति/विमुक्त एंव टपरीवास जाति से सम्बन्धित होना चाहिए ।
2. प्रार्थी का नाम बी.पी.एल. की सूची में होना चाहिए । जिस मकान की मुरम्मत की जानी है, वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए तथा उसे बने हुए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है ।
3. प्रार्थी द्वारा मुरम्मत के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए ।
4. आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा आधार नम्बर अवश्य दिया जाए ।

वित्तीय विविक्षा

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के ऐसे लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है तो उसे 25,000/–रुपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी तथा यह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर होगें ।

1. राशि सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
2. प्रार्थी को राशि उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी ।
3. प्रार्थी द्वारा राशि प्रयोग करने उपरान्त प्रयोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा।

4. जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थी को राशि दी गई है यदि प्रार्थी द्वारा इस राशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता तो सरकार को यह राशि As arrear of land revenue के रुप में वसूल करने का अधिकार है।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रकिया

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाएगें तथा सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की वैरीफिकेशन करने उपरान्त अपनी सिफारिश दी जाएगी । सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी अनुदान स्कीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा ।

वर्तमान में डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास योजना का खर्च जिस शीर्ष में से किया जाता है उसी शीर्ष में से केवल इस स्कीम का नाम बदल कर खर्च वहन किया जाएगा ।

अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी), हकदारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
5. उपनिदेशक(स्कीम), अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghubir Singh
अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनकी मंत्रणा अशाः कमांक 2/6/2016–5एफ.जी.–II/3294 दिनांक 20.2.2017 के संदर्भ में प्रेषित है ।

अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

क्रमांक स–3/2017/5441
दिनांकः 8-3-17

विषयः– **डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना वर्ष 2016–17 बारे ।**

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 247–स.क.(1)2017 दिनांक 24–08–2017 के

सन्दर्भ में ।

जैसा कि सरकार द्वारा उक्त योजना दिनांक 28–02–2017 से लागु कर दी गई है। सरकार ने इस पर पुनः विचार करते हुए तय किया है कि स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करते समय विधवा, बेसहारा, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन व जिनके पास केवल लडकियां हो, ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता दें । इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ मकान का फोटो तथा मकान मुरम्मत पर होने वाला अनुमानित खर्चा भी प्राप्त करें। मकान मुरम्मत के बाद भी मकान का फोटो अवश्य लेकर कार्यालय रिकार्ड में लगाये।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

पृष्ठाकन क्रमांक स–3/2017/5442-62 दिनांक 8.3.17

इसकी एक प्रति सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा।

यादी कमांक 270–स.क.(1)–2020
दिनांक 18.03.2020

विषयः– **विभागीय स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त योग्य आवेदन पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस विभाग की डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव विमुक्त/टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उनके रिहायसी मकान की मरम्मत के लिए 50,000/– रूपये का अनुदान दिया जाता है बशर्ते की उनका रिहायसी मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और मरम्मत योग्य हो। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन के साथ मकान के मालिकाना हक का प्रमाण लगाया जाना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे में आने वाले मकानों का उनके मालिकों के पास मालिकाना हक का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता इसलिए प्रार्थी पटवारी द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक प्रमाण सलग्न करतें है। इस मामले पर विचारापरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भवष्यि में प्रार्थी द्वारा इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन के साथ पटवारी की बजाय सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक का प्रमाण स्वीकार किया जाए।

Raghubir Singh
अधीक्षक (स.क.)
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ0क्र0: 270–स.क.(1)–2020 दिनांकः 18.03.2020

इसकी एक प्रति राज्य के सभी जिला कल्याण अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:–

Sd
अधीक्षक (स.क.)
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 43-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021 (KARTIKA 4, 1943 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

HARYANA GOVERNMENT

WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2021

No. 445-SW(1)-2021.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana, is administering the **Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojna** to provide the grant for the repair of houses to all families of the Haryana State living below poverty line.

And whereas, under the Scheme, grant is given to all families of the Haryana State living below poverty line as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana Government.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the government of Haryana hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: –

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely: -

(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Chandigarh:
The 04th October, 2021.

VINEET GARG,
Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department.

9340—C.S.—H.G.P., Chd.